हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवंटा साहिब द्वारा दिनांक 29.10.2021 को श्रीयुत ऐ- आर क्रशिंग कंपनी पार्टनर्स श्री आशुतोष गुप्ता एवं राजेश गर्ग निवासी हाउस नंबर 6 वार्ड नंबर 4 बद्रीपुर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) की मौजा मोहाल बांगरन, खसरा नंबर 368/288/239/3/1 और कुल खनन क्षेत्र 4.025 हेक्टेयर (47-15 बीघा) तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 75,735 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवंटा साहिब द्वारा दिनांक 29.10.2021 को श्रीयुत ऐ- आर क्रशिंग कंपनी पार्टनर्स श्री आशुतोष गुप्ता एवं राजेश गर्ग निवासी हाउस नंबर 6 वार्ड नंबर 4 बद्रीपुर, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.), की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई मंदिर भवन मुख्य सड़क ग्राम बांगरन, तहसील पाँवटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित **खनन पट्टा मौजा मोहाल बांगरन, खसरा नंबर 368/288/239/3/1 और कुल खनन क्षेत्र 4.025 हेक्टेयर (47-15 बीघा) तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 75735 टन प्रति वर्ष) हेतु,** ई. आई. ऐ. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन उपायुक्त सिरमौर की अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि संलग्न-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवंटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया।

अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री सुशील चंद, ग्राम पंचायत बांगरन।	इन्होने कहा कि इन्हे खनन परियोजना से आपत्ति है क्यूंकि नदी में अत्यधिक खनन से भूमि कटाव होता है जिससे स्थानीय घरो तथा गांव को नुकसान पहुँचता है जिसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इस के अतिरिक्त खनन मालिकों द्वारा स्थानीय लोगो को रोजगार भी नहीं दिया जाता है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार नदी में प्रस्तवित लीज एरिया के बीचो बीच किया जायेगा जिससे नदी के किनारे सुरक्षित रहेंगे और भूमि कटाव का खतरा कम होंगा और लोगो की निजी भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा तथा रोजगार में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

2	श्री शाबिर अहमद ग्राम बांगरन।	यदि खनन प्रस्ताव रिहाइशी क्षेत्र से उचित दुरी पर लगाया जाता है तो इन्हे इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है और हम इस परियोजना का समर्थन करते हैं।	
3	श्री प्रेम दास ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि खनन प्रस्ताव के कारण प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधाएं दी जाये जैसे घर बनाने के लिए आवश्यक रेत बजरी तथा माल ढुलाई के लिए स्थानीय ट्रैक्टरों को ही लगाया जाए और स्थानीय लोगों को ही रोजगार में प्राथमिकता दी जाए । इसके अतिरिक्त भूमि कटाव को रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार डंगा लगाया जाए या प्रभावित क्षेत्र से खनन को रोक दिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि परियोजना प्रस्ताव में भूमि कटाव को रोकने के लिए चैक-डैम का प्रावधान किया गया है तथा CSR के तहत स्थानीय लोगों को आवश्यक मदद दी जाएगी।
4	श्री सुरेंदर, ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास शौचालय का प्रावधान किया जाना चाहिए और हमे इस खनन प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि कर्मचरियो /मजदूरों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित क्षेत्र में मोबाइल टॉयलेट्स का प्रावधान किया जाएगा।
5	श्री आशीष कुमार ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि खनन से उड़ने वाली धूल के कारण फसलों को नुकसान होगा क्योंकि खनन मालिकों द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है तथा पेड़ पौधे भी नहीं लगाए जाते हैं । अक्सर प्रस्तावित प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो यह कौन सुनिश्चित करेगा की जो बाते यहां कही जा रही है उसपर ठीक से अमल होगा।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि नियमो की पलना न करने पर सम्बंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है इस के अतिरिक्त खनन योजना के अनुसार ही खनन किया जाएगा तथा खनिज के परिवहन के कारण धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए पानी के छिड़काव का प्रावधान परियोजना प्रस्ताव में किया गया है। **श्री विवेक महाजन उप-मंडलीय अधिकारी पावंटा साहिब** ने कहा कि क्षेत्र के सभी खनन/क्रशर मालिको द्वारा जल छिड़काव के लिए निर्धारित राशि पंचायत को जमा कराई जाए तथा पंचायत द्वारा रास्तों पर जल छिड़काव सुनिश्चित किया

			जाए।
6	श्री दिनेश कुमार, फूलपुर पंचायत।	इन्होने कहा कि हमें इस परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इस से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे हमारा परियोजना प्रस्ताव से केवल यही अनुरोध है कि माल ढुलाई के लिए स्थानीय ट्रैक्टरो को ही प्राथमिकता दी जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वाशन दिया कि गांव बांगरन के लोगों को ही रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी और ट्रैक्टर भी स्थानीय लोंगो के ही लगाए जाएंगे।।
7	श्री मिंटू कश्यप, फूलपुर पंचायत।	इन्होने कहा कि हमें इस खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे । परियोजना प्रस्तावक से हमारा यही अनुरोध है कि खनन क्षत्रे के आस पास आवश्यक पौधा रोपण किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि पौधा-रोपण किया जाएगा। इसपर **श्री विवेक महाजन उप-मंडलीय अधिकारी पावंटा साहिब** ने ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए व रोपित किये गए पौधों की संख्या तथा उनका जीवित शेष-दर ज्ञात किया जाए।
8	श्री गुलफाम अली, ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि हमें इस खनन प्रस्ताव से हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि खनन से नदी गहरी हो जाती है जिससे बरसातों मे बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा।	
9	श्री प्रकाश, ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि खनन मालिकों द्वारा आवश्यकता अनुसार घर बनाने के लिए आवश्यक रेत व बजरी की मदद नहीं की जाती है।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि ग्रामवासियों को आवश्यकता अनुसार मदद दी जाएगी।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इसे जनसुनवाई की कार्यवाही में कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर जिलाधीश महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)